

शांति भंग करने के 20 आरोपी गिरफ्तार :-

दशरथलाल स0उ0नि0 थाना बौली स0मा0 ने 1. जसवंत सिंह पुत्र ईश्वरसिंह 2. जितेन्द्रसिंह पुत्र जसवंतसिंह 3. हनुमान पुत्र ईश्वरसिंह 4. गोरधन सिंह पुत्र हनुमानसिंह जातियान राजपूत निवासीयान मोरन थाना बौली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार अतर सिंह हैड कानि0 19 थाना मलारना डूंगर ने 1 राजेन्द्र पुत्र रामाकशोर जाति गुजर उम्र 26 साल निवासी सूरगढ थाना बाटौदा 2 देवेन्द्र पुत्र सुखराम जाति गुजर उम्र 20 साल निवासी सुमेल थाना बाटौदा 3 मारनासिंह पुत्र पूरणमल जाति गुजर उम्र 20 साल निवासी बिलोला थाना मलारना डूंगर 4 लालाराम पुत्र पन्नालाल जाति गुजर उम्र 22 साल निवासी मकसूदनपुरा थाना मलारना डूंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार रामावतार हैड कानि0 49 थाना मलारना डूंगर ने 1 नसीब खान पुत्र हबीब खान जाति मुसलमान उम्र 30 साल निवासी रसूलपुरा 2 शरॉफ पुत्र नबी खां जाति मुसलमान उम्र 31 साल निवासी रसूलपुरा 3 ईलियास खां पुत्र ईशाक खां जाति मुसलमान उम्र 24 साल निवासी भारजा गददा थाना मलारना डूंगर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार लक्ष्मण हैड कानि0 354 थाना कोतवाली स0मा0 ने 1 अविनाश पुत्र पप्पलाल मीना उम्र 24 साल निवासी धमूण खुद 2 आशीष पुत्र श्री ब्रजमोहन मीना उम्र 18 साल निवासी नीमला खुद को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार राधेश्याम स0उ0नि0 थाना खण्डार ने 1. विनोद पुत्र नागराम उम्र 32 साल जाति गुर्जर निवासी खिरखिडी थाना रवांजना डूंगर 2. रामसिंह पुत्र रामजीलाल उम्र 25 साल जाति गुर्जर निवासी खण्डार थाना खण्डार 3. हरिओम पुत्र उंकार उम्र 44 साल जाति बैरवा निवासी मेई खुद्र थाना खण्डार को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार रेवत सिंह हैड कानि0 थाना मानटाउन ने 01- श्री प्रदीप पुत्र स्वर्गीय श्री भुगडामल जाति सिन्धी उम्र 39 साल निवासी एम.पी. कॉलोनी थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर 02- श्री ओमप्रकाश पुत्र स्वर्गीय श्री भुगडामल जाति सिन्धी उम्र 45 साल निवासी गौतम कॉलोनी बजरिया थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर 03- श्री भगवानदास पुत्र स्वर्गीय श्री भुगडामल जाति सिन्धी उम्र 53 साल निवासी एम.पी. कॉलोनी थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

इसी प्रकार महेश्वर लाल स0उ0नि0 थाना मानटाउन ने श्री मन्जीत पुत्र श्री मोहर सिंह जाति मीणा उम्र 19 साल निवासी छोटी उदई थाना पीलोदा जिला सवाई माधोपुर को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते 04 आरोपी गिरफ्तार :-

अनूप सिंह उ0नि0 थानाधिकारी थाना सूरवाल ने श्री हंसराज मीना पुत्र श्री कालूराम जाति मीना उम्र 42 साल निवासी इशवाडा थाना रेजी जिला अलवर राज0 को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार रेवत सिंह हैड कानि0 357 थाना मानटाउन ने श्री प्रताप सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत उम्र 50 साल नि0 फलोदी क्वारी थाना रवाजना डूंगर स0मा0 को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार सुन्दर लाल उ0नि0 थाना कोतवाली स0मा0 ने 1 श्री निसार पुत्र बशीर उम्र 31 साल निवासी आदश नगर बी थाना मानटाउन स0मा0 2. सोनु उफ धमन्द्र पुत्र रूपचन्द्र सिंधी उम्र 32 साल निवासी हा0बोड स0मा0 को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

दर्ज मुकदमात का आरोपी गिरफ्तार :-

नरेन्द्र कुमार शर्मा वृताधिकारी वृत्त गंगापुरसिटी ने श्री करण पुत्र श्री भूरा मीना उम्र 22 साल निवासी कालाखाना थाना हिण्डोन सिटी जिला करोली को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्री नत्थू पुत्र कन्हैया जाति खंगार निवासी सेवा ने दिनांक 27.12.2017 को थाना वजीरपुर पर मु0नं0 246/17 धारा 363,366,376डी ता0हि0 में दर्ज कराया था।

अवैध रूप से स्मैक बेचते हुये 01 आरोपी गिरफ्तार :-

दीपक ओझा पु0नि0 थानाधिकारी थाना गंगापुरसिटी ने युवराज, पुत्र केलाश सिंह उम्र 20 साल जाति राजपूत निवासी महकलां थाना गंगापुर सिटी को महु कलॉ अण्डर ब्रिज के पास गंगापुर सिटी में अवैध रूप से स्मैक बेचते हुये पाये जाने पर उनके कब्जे से 5.10 ग्राम स्मैक व 2500 रूपये नगद के साथ गिरफ्तार कर मु0नं0 871/17 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में थाना गंगापुरसिटी पर दर्ज किया गया।

सट्टा लगाते 01 आरोपी गिरफ्तार :-

पुष्पेन्द्र सिंह हैड कानि0 थाना गंगापुरसिटी ने दीनदयाल पुत्र श्री मदनमोहन जाति महाजन उम्र 37 साल निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी को सार्वजनिक स्थान पर सट्टा लगाने के आरोप में मय सट्टा उपकरण व 7830 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मु0नं0 873/17 US 13 RPO ACT में थाना गंगापुरसिटी पर दर्ज किया गया।

स्थायी वारंटी गिरफ्तार :-

महेश कुमार कानि0 811 थाना बौली नें फरार स्थायी वारंटी श्री नन्दा मीना पुत्र गुल्ला उर्फ गुलाव जाति मीना निवासी तामडिया थाना चाकसू जिला जयपुर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध श्रीमान जे0एम0 साहव बौली के द्वारा केस नं0 07/2004 में स्थायी वारण्ट जारी किया गया था।